भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. †2692

सोमवार, 9 मार्च, 2026/18 फाल्गुन, 1947 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

लद्दाख में पर्यटन उद्योग के लिए राहत उपाय

†2692. श्री मोहम्मद हनीफ़ाः

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ऑपरेशन सिंदूर और 24 सितम्बर की दुःखद घटना के बाद से वर्ष 2025 में संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख के लेह और कारगिल आने वाले पर्यटकों की संख्या में 60 प्रतिशत की भारी गिरावट आई है जिसके कारण पर्यटन संबंधी हितधारक गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं इसमें अंतर्राष्ट्रीय यात्रा परामर्श और मानसून से संबंधित गंभीर व्यवधान भी शामिल हैं जिसने पर्यटन सीजन को बाधित किया और पर्यटन क्षेत्र पर निर्भर हजारों लोगों की आजीविका को खतरे में डाल दिया है,

(ख) यदि हां, तो लद्दाख में पर्यटन उद्योग के पुनरुद्धार के लिए ब्याज मुक्त अधिस्थगन, ऋण पुनर्गठन, प्रत्यक्ष अनुदान अथवा राजसहायता जैसे स्वीकृत अथवा सरकार द्वारा प्रस्तावित विशिष्ट राहत उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या पर्यटन पर निर्भर लद्दाख की 70 प्रतिशत आबादी के लिए अगले मौसम तक इस क्षेत्र की रिकवरी सुनिश्चित करने के लिए कोई विशेष पैकेज या पुनरुद्धार योजना तैयार की जा रही है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) से (ग): पर्यटन मंत्रालय के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र के अंतर्गत लेह और कारगिल में पर्यटकों का आगमन निम्नानुसार है:

घरेलू पर्यटक आगमन	**2024**	**2025**	**% बदलाव**
लेह	2,92,836	2,12,799	-27.3
कारगिल	3,20,432	93,389	-70.9

विदेशी पर्यटक आगमन	**2024**	**2025**	**% बदलाव**
लेह	34,915	29,049	-16.80
कारगिल	4,215	3,072	-27.12

लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, उनके वित्त विभाग ने 19.09.2025 को एक अधिसूचना जारी की, जिसका उद्देश्य लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र में स्थित बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक (प्राकृतिक आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों द्वारा राहत उपाय) निर्देश, 2018 के अध्याय VII के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाना था। उपरोक्त अधिसूचना के फलस्वरूप, लद्दाख में कार्यरत तीन प्रमुख बैंकों, अर्थात् स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और जम्मू-कश्मीर बैंक की एक समिति ने पहलगाम घटना के बाद उत्पन्न अशांति से प्रभावित उधारकर्ताओं, जिनमें पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोग भी शामिल हैं, के लिए एक पुनर्वास योजना/पैकेज को अंतिम रूप दिया और सभी बैंकों को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। पुनर्वास योजना में उधारकर्ताओं के खातों की रीस्ट्रक्चरिंग शामिल है, जिसमें अन्य बातों के अलावा निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं:

(i) मौजूदा सावधि ऋण में स्थगन अवधि के साथ चुकौती अवधि का विस्तार।
(ii) मौजूदा सावधि ऋण में बिना स्थगन अवधि के पुनर्भुगतान अवधि का विस्तार।
(iii) मौजूदा कार्यशील पूंजी में स्थगन अवधि के दौरान अर्जित या अर्जित होने वाले ब्याज को वित्तपोषित ब्याज सावधि ऋण (एफआईटीएल) में परिवर्तित करना।
(iv) सावधि ऋण में स्थगन अवधि के दौरान अर्जित या अर्जित होने वाले ब्याज को एफआईटीएल में परिवर्तित करना।
(v) कार्यशील पूंजी सावधि ऋण (डब्ल्यूसीटीएल) के रूप में अतिरिक्त ऋण सुविधा की स्वीकृति, जो मौजूदा निधि आधारित कार्यशील पूंजी सीमा के 15% से अधिक नहीं होगी।

सरकार ने आदिवासी समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को भी मंजूरी दी है और इस योजना के अंतर्गत 1000 होमस्टे का विकास किया जाएगा। लद्दाख सहित अन्य राज्य और संघ राज्यक्षेत्र 01.07.2025 को जारी दिशानिर्देशों के अनुसार पात्रता मानदंडों को पूरा करते हुए, 5-6 गांवों के समूह में प्रति गांव 5-10 होमस्टे स्थापित करने के लिए अधिकतम 5 करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने 2025-26 के बजट घोषणापत्र में होमस्टे के लिए बिना गारंटी के मुद्रा ऋण की संस्थागत पेशकश की घोषणा की, जिसका उद्देश्य देश भर में होमस्टे की स्थापना में सहायता और प्रोत्साहन देना है।

****